

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

उपरोक्त एवं शैवाल रेकॉर्ड इन्डेक्स - II के आधार पर प्रमाण-पत्र संख्या

कृषि भी Nareesh. Mahto

20 आवेदन सं०

2599 2019

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उत्तरे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-2006 से ता० 30-01-2014 तक हस्ताक्षर की गयी और ऐसी हस्ताक्षरों के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता धला

धला है अतः अवभार मुक्त

क्र.सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza _____ P.S. _____ Trang NO _____ Khata NO _____ Plot NO _____ Tauzi No _____ Area _____	<u>Khemani Chak</u> <u>112</u> <u>56</u> <u>144</u> <u>Govt of Bihar.</u> <u>9527</u>						

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बरातों की उनको बारे में उल्लेख हो ।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।
 मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): M. Hussain
M. Hussain

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): *[Signature]*

(पदनाम):

कार्यालय: Patna

तारीख:



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं । यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमागियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियों देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमागियों उनके पास सामने रखदी जायेगी ।

✓ **नोट** किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।

कार्यालय, अवर निबंधक, _____

ज्ञाप संख्या 2752

दिनांक 21/04/19

आवेदक श्री Nareesh mahto

का रूपमार प्रमाण-पत्र द्वारा, manager, LIC Housing Finance Ltd, Patna

का उनके पत्र संख्या _____ दिनांक 05/04/2019 के प्रसंग में अमर्ररित की जाती है ।

निबंधन पदाधिकारी

Patna

21/04/19

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० **866**

आवेदन सं० **19**

संपत्ति का विवरण: **श्री. महेन्द्र प्रसाद शर्मा** ने जो पास आवेदन क्रिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निर्दिष्ट सव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अबभारों के बारे में और उससे सम्बन्धित अनुक्रमणियों से ता० **31.01.14** से ता० **update** तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अबभारों का पता चलता है:-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	फलों के नाम		दस्तावेज की प्रतियों के प्रति विवरण			
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ग	पृष्ठ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	शेखर - शेखरी - 112		शेखरी	शेखरी	लक्ष्मी	शेखरी			
	काका -		केदार	56	144		144	9527	सर्ज -
	श्रीकांत - 112		सुरेश						
	श्रीकांत - 420								

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1. शेखर-पत्र की दशा में प्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बराबर कि इनके बारे में 2 पदों की दशा में पदों की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

1 यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अर्न्धारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले कितने अन्य संव्यवहार और अर्न्धार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति न तसारी की ओर प्रमाण-पत्र तयार किया -

(अर्न्धार) - श्री (अर्न्धार) 4/4/19
(पदनाम)

तसारी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जीव निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - 4/4/19
(पदनाम)

कार्यालय अवर निबंधक, यु.एन. को. कार्यालय, पटना



मुख्य निबंधक
यु.एन. को. कार्यालय, पटना

- 1. इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अर्न्धार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण में उल्लेखित किये गये हैं; यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों में उल्लेखित संव्यवहार (दस्तावेज) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- 2. निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिनिधि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों से अर्न्धारों के प्रमाण-पत्रों की जखरत हो उन्हें तसारी स्वयं करनी होगी। विहित प्रक्रिया का पालन करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।
- 3. किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तसारी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अ तसारी अपने भरसक सहायकी से की है। फिर भी, रिमाण प्रमाण-पत्र में दिये गये तसारी परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4. और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तसारी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दिये संव्यवहार और अर्न्धारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न दिये गये ऐसे संव्यवहार और अर्न्धारों को ध्यान में रख कर किसी भी तरह का पता नहीं होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

आंक 866 दिनांक 4/4/19

प्रतिलिपि - अवर निबंधक L.I.E Housing Finance Ltd
Fraser Road Patna

अवर निबंधक
यु.एन. को. कार्यालय, पटना